



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21761

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - ए सं. - 1339 वर्ष 2013

श्रीमती मंजू सिंह एवं 3 अन्य

..... याची (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा उ. प्र. सरकार एवं अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता (गण)

याची (गण) के अधिवक्ता

: अजय प्रताप सिंह

प्रत्युत्तरदाता (गण) के अधिवक्ता

: मु.स्था.अ.

--:और:-

एक अन्य सहसंबद्ध वाद

न्यायालय सं. -4

माननीय न्यायमूर्ति इरशाद अली

1. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री अजय प्रताप सिंह, और प्रत्युत्तरदातागण-राज्य की ओर से विद्वान् अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव को सुना।

2. दोनों रिट याचिकाओं का, रिट-ए सं. 1339 वर्ष 2013 को मुख्य रिट याचिका मानते हुए, एक सामान्य निर्णय और आदेश के माध्यम से विनिश्चय किया जा रहा है, और उसमें पारित निर्णय और आदेश दोनों ही रिट याचिकाओं पर समान रूप से लागू होंगे।

3. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचीगण ने, प्रत्युत्तरदाता सं. 3 (संयुक्त शिक्षा निदेशक,

देवी पाटन मंडल, शिक्षा भवन, फैजाबाद) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2012 जैसा रिट

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



याचिका के संलग्नक-1 में अंतर्विष्ट है, खारिज करने के लिए, उत्प्रेषण प्रकृति की एक रिट जारी करने की प्रार्थना की है, अग्रेतर, प्रत्युत्तरादातगण को, याची को संबद्ध प्राथमिक विद्यालय, अर्थात् बलरामपुर गर्ल्स इंटर कॉलेज, बलरामपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्य करने की अनुमति देने, और यह सुनिश्चित करने का कि याची को उसके वेतन का भुगतान प्रत्येक माह नियमित रूप से किया जाए, आदेश देते हुए, परमादेश प्रकृति की एक रिट जारी करने की भी प्रार्थना की गई है।

4. वाद का तथ्यात्मक विवरण यह है कि बलरामपुर गर्ल्स इंटर कॉलेज, बलरामपुर, इंटरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने वाली एक संस्था है। इसके प्राथमिक प्रभाग को भी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यह संस्था उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से अनुदान-सहायता प्राप्त कर रही है।

संस्था के संबद्ध प्राथमिक प्रभाग में, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के कारण, समय-समय पर सहायक अध्यापक के ग्यारह पद रिक्त हुए थे। संस्था के प्राधिकृत नियंत्रक के माध्यम से, प्रबंध समिति द्वारा विज्ञापन जारी करके चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी।

याचीगण ने नियुक्ति हेतु आवेदन किया था, और चयन समिति की संस्तुति के उपरांत, विरोधी

पक्षकार सं. 5 ने संबद्ध प्राथमिक प्रभाग में सहायक अध्यापक के पद पर याचीगण के पक्ष में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नियुक्ति पत्र जारी किए थे। उक्त नियुक्ति पत्रों के अनुसरण में, याची ने 31.8.2010 को संस्था के प्राधिकृत नियंत्रक को अपने पद-ग्रहण की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और उसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था।

इसके बाद, यह मामला, विरोधी पक्षकार सं. 5 द्वारा याची की नियुक्ति के अनुमोदन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्दिष्ट किया गया था, और जिला विद्यालय निरीक्षक ने अग्रेतर कार्रवाई के लिए इसे संयुक्त शिक्षा निदेशक के समक्ष अग्रेषित किया था।

कुछ व्यक्तियों ने, जिन्हें याचीगण के साथ नियुक्त किया गया था, रिट याचिका सं. 1452 (एस एस) वर्ष 2012 अधिमानित की थी, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.3.2012 द्वारा, संयुक्त शिक्षा निदेशक, देवी पाटन मंडल, फैजाबाद याचीगण के चयन के संबंध में तीन महीने के भीतर विनिश्चय करने का निदेश देते हुए, इसका निस्तारण किया गया था।

याचीगण ने, प्रबंध समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.3.2012 के विरुद्ध एक पुनर्विलोकन भी अधिमानित किया था, किन्तु उसे भी आदेश दिनांक 21.5.2012 द्वारा पूर्ववर्ती आदेश के निदेश के सात निस्तारित कर दिया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संयुक्त शिक्षा निदेशक, देवी पाटन मंडल, फैजाबाद ने, संबद्ध प्राथमिक प्रभाग में सहायक शिक्षक के पद पर याचीगण का दावा। ऐसे आधार पर, निरस्त करत हुए आक्षेपित आदेश पारित किया था, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था, और इस तथ्य के बाद भी कि याचीगण को उचित विज्ञापन देने के पश्चात् सम्यक् प्रक्रिया का पालन करके नियुक्त किया गया था, केवल उनकी कुछ विधिक मांगें पूरी नहीं किए जाने के कारण किया गया था। किन्तु तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक ने अत्यधिक अवैध रीति से इस पर विचार नहीं किया था।

5. याची के विद्वान् अधिवक्ता का यह निवेदन है कि आक्षेपित आदेश मुख्य रूप से इस आधार पर पारित किए गए हैं कि प्राधिकृत नियंत्रक ने इन्कार कर दिया है कि उन्होंने याचीगण के नियुक्ति-पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और इस संबंध में, याची के विद्वान् अधिवक्ता का निवेदन है कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा की गई है, और संयुक्त शिक्षा निदेशक के दबाव के अधीन उन्होंने मिथ्या कथन किया है।

6. याची के विद्वान् अधिवक्ता का अगला निवेदन है कि चयन प्रक्रिया निरस्त करने का आक्षेपित आदेश का आधार यह बनाया गया है कि याचीगण की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार का कोई अनुमोदन नहीं था। इस संबंध में, विद्वान् अधिवक्ता का निवेदन है कि इस न्यायालय द्वारा विशेष अपील सं. 69607 वर्ष 2010 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17.4.2012 के अनुसार, संबद्ध प्राथमिक प्रभाग में पद भरने से पहले कोई नया अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

7. याची के विद्वान् अधिवक्ता का अगला निवेदन है कि शासनादेश दिनांक 25.5.2012 जारी होने के बाद, संयुक्त शिक्षा निदेशक केवल संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक, बलरामपुर को मामला प्रतिप्रेषित कर सकते हैं, इस प्रकार, आदेश, जिसे इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है, पूर्णतः क्षेत्राधिकार से बाहर है।

8. याची के विद्वान् अधिवक्ता का अंतिम निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के माध्यम से, किसी ऐसे लोक प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार सृजित नहीं किया जा सकता है, जो आदेश पारित करने के लिए अधिकृत नहीं है।

9. अपनी निवेदनों के समर्थन में, याची के विद्वान् अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास किया है:

"(i) अनुराग कुमार सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, मनु/एस

सी/1174/2016 में प्रकाशित

(ii) सुरेश चंद्र मिश्रा बनाम उ. प्र. राज्य द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा सिविल सचि.

लखनऊ एवं अन्य (वाद:- सेवा एकल सं. 6600 वर्ष 2018, 10.7.2018 को विनिश्चित)"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. दूसरी ओर, विद्वान् अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव निवेदन करते हैं कि नियुक्ति की संपूर्ण कार्यवाही जाली और मनगढ़ंत थी। प्राधिकृत नियंत्रक ने भी इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने अपने हस्ताक्षर से नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किए हैं। वह अग्रेतर निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश उचित और वैध है, और इस न्यायालय द्वारा जारी निदेशों के अधीन पारित किया गया है, और इसलिए, आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है।

11. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं के विरोधी निवेदनों पर विचार करने के बाद, मैंने अभिलेख पर सामग्री और याची के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा उद्धृत विधि-रिपोर्ट का परिशीलन किया है।

12. निर्धारण के लिए जो पहला प्रश्न आता है, कि क्या क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार है या नहीं। शासनादेश दिनांक 25.5.2012, जिला विद्यालय निरीक्षक को संबद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज के प्राथमिक अनुभाग में की गई नियुक्तियों के संबंध में अनुमोदन का आदेश पारित करने के लिए सशक्त करता है, इसलिए, शासनादेश जारी होने के बाद क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा पारित आदेश पूर्णतः क्षेत्राधिकार से बाहर है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. इस प्रश्न के संबंध में कि क्या उच्च न्यायालय आदेश पारित करके किसी प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार सृजित कर सकता है, इस विवाद का, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही अनुराग कुमार सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, 2016 (9) एस सी सी 426 में प्रकाशित, वाद में पहले ही निर्धारण किया जा चुका है, जिसका प्रवर्तनीय भाग एतदन्विन उद्धृत किया गया है:

"न्यायिक विवेक अधिकार का प्रयोग कोई न्यायालय तभी कर सकता है, जब दो या अधिक संभावित विधिपूर्ण समाधान हों। किसी भी स्थिति में, न्यायालय न्यायिक विवेक अधिकार का प्रयोग करते हुए, किसी भी विधि या तद्धीन बनाई गई नियमवली के विपरीत कोई निदेश नहीं दे सकता है। अहारोन बराक द्वारा, न्यायिक विवेक अधिकार (1989) से उद्धृत करना उपयोगी होगा, जो इस प्रकार है:

"विवेक का अर्थ है, अनेक विधिपूर्ण विकल्पों में से चुनाव करने की स्वतंत्रता। इसलिए, जहां केवल एक विधिपूर्ण विकल्प उपलब्ध हो, वहां विवेक अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसी स्थिति में, न्यायाधीश से उस विकल्प का चयन करना अपेक्षित होता है, और उसके पास चुनाव करने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। किसी विधिपूर्ण कार्य और किसी अविधिपूर्ण कार्य के बीच चयन करने में किसी विवेक अधिकार अंतर्गस्त नहीं होता है। न्यायाधीश को अनिवार्य रूप से विधिपूर्ण कार्य का ही चयन करना होता है, और उसे अविधिपूर्ण कार्य का चयन करने से रोका जाता है। दूसरी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ओर, विवेक अधिकार का अर्थ है, अनेक विकल्पों में से किसी एक विशेष विकल्प को चुनने की बाध्यता का अभाव।”

14. वर्तमान रिट याचिका में अंतर्गस्त विवाद का विनिश्चय करते समय, शासनादेश दिनांक

20.5.2012 का सुसंगत भाग नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"प्रेषक

संख्या-15(स)/15-12-2012

पार्थ सारथी सेन शर्मा,

सचिव,

30 प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक, माध्यमिक,

30 प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग 12

लखनऊ: दिनांक: 25 मई, 2012

विषय:- प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में शासन की अनुमति के उपरान्त नियुक्ति की व्यवस्था में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप के पत्र संख्या सा0-1-शि0/537/2012-13, दिनांक 19 अप्रैल, 2012 के

संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में बिना पद सृजन

कराये अनियमित ढंग से अध्यापकों की नियुक्ति राजकोष पर अनावश्यक व्यय भार बढ़ाने हेतु

प्रबन्धतंत्रों द्वारा निरन्तर किये जा रहे प्रयासों का संज्ञान लेते हुए शासनादेश

संख्या-783/796-03-04 जी(1)/03 दिनांक 19 अप्रैल, 2003 द्वारा उक्त प्रकार के विद्यालयों

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में पद सृजन, अतिरिक्त कक्षा वर्ग की अनुमति, नियुक्ति तथा अनुमोदन की कार्यवाही पूर्णरूपेण शासन की पूर्वानुमति तक स्थगित रखे जाने के आदेश दिये गये थे और यह भी निर्देश दिये गये थे कि सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्तियों विद्यालय का छात्र संख्या, सृजित पद, वार्षिक परिणाम और कार्यभार के सामंजस्य की स्थिति स्पष्ट करते हुए शासन को प्रस्तुत कर शासन की पूर्वानुमति के उपरान्त की जाये।

2- उक्त आदेशिका व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त जनपद स्तर से प्रस्ताव प्राप्त कर निदेशालय स्तर पर परीक्षण के उपरान्त शासन को प्रेषित करने एवं शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त रिक्त पदों को भरे जाने की अनुमति दिये जाने में अनावश्यक विलम्ब होता है और अध्यापकों की समयान्तर्गत व्यवस्था न होने के कारण शिक्षण कार्य कुप्रभावित होता है।

3- निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हो जाने के उपरान्त यह अपरिहार्य हो गया है कि बच्चों के शिक्षण कार्य हेतु अध्यापकों की समय से विद्यालय में उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये।

4- कतिपय प्रकरणों में (यथा रिट याचिका संख्या-12977/2012-जनपद पीलीभीत तथा रिट याचिका संख्या-25733/2012 जनपद कानपुर) मा० न्यायालय द्वारा भी सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति शासन की पूर्वानुमति के उपरान्त दिये जाने और प्रकरण में होने वाले प्रक्रियागत विलम्ब पर चिन्ता व्यक्त की गयी है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5- सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों के चयन/ नियुक्ति से सम्बन्धित नियमावली बनाने का प्रकरण शासन के सक्रिय विचार में है अतः प्रश्नगत नियमावली प्रख्यापित होने तक सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में रिक्त पदों को भरे जाने की अनुमति दिये जाने का अधिकार सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिये जाने का निर्णय, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, लिया गया है

- (i) पद सृजन, अतिरिक्त कक्षा वर्ग की अनुमति दिये जाने का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक को नहीं होगा।
- (ii) अनुदानित होने के समय सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग की जनशक्ति कितनी थी और उसके सापेक्ष वर्तमान में कितनी जनशक्ति है, का सम्यक् परीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा।
- (iii) प्रबन्धतंत्र द्वारा जब किसी सृजित पद के विरुद्ध नियुक्ति की अनुमति जिला विद्यालय निरीक्षक से मांगी जायेगी तो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उक्त विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की पंजीकृत छात्र संख्या, औचक निरीक्षण में छात्रों की उपस्थिति का संज्ञान लेना होगा।
- (iv) जिला विद्यालय निरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी है, और वह यह भी देखेंगे कि रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती हेतु विज्ञापन दिया गया है अथवा नहीं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(v) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जब भर्ती हेतु अनुमति दी जायेगी तो उसकी सूचना शिक्षा निदेशक एवं शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(vi) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्रों की संख्या के सापेक्ष कार्यस्त अध्यापकों की संख्या का परीक्षण मानक के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

(vii) जिला विद्यालय निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि आरक्षण नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

(viii) संयुक्त शिक्षा निदेशकों द्वारा जनपदीय भ्रमण के दौरान सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पदों को भरे जाने हेतु दी गयी अनुमति का सत्यापन निश्चित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) विद्यालय प्रबन्धतंत्र एवं जिला विद्यालय निरीक्षक की दुरभिसन्धि का प्रकरण संज्ञान में आने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही सम्बन्धित सक्षम स्तर से की जायेगी।

6- उपरोक्तानुसार सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में अध्यापकों की उपलब्धता समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से और प्रक्रियात्मक अनावश्यक विलम्ब से बचने के लिए शासनादेश संख्या-783/79-6-03-4 जी (1)/03 दिनांक 19 अप्रैल, 2003 जिसमें नियुक्तियां

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



शासन की पूर्वानुमति के उपरान्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे, की व्यवस्था समाप्त की जाती है।”

15. शासनादेश के संबंधित उपबंधों का परिशीलन करने पर, यह कहा जाता है कि प्राथमिक प्रभाग में नियुक्त सहायक शिक्षक की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदत्त करने की शक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक में निहित है।

16. एतदुपर्युक्त निर्दिष्ट विधि रिपोर्ट की दृष्टि से, प्रत्युत्तरादातगण के विद्वान् अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के इस निवेदन में कोई सार नहीं है कि क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक का याची का दावा खारिज करने वाला आदेश, एक वैध आदेश है। शासनादेश में अंतर्विष्ट उपबंधों की दृष्टि से, जिला विद्यालय निरीक्षक, अनुमोदन का उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए सशक्त है, इसलिए, प्रत्युत्तरादातगण ने आक्षेपित आदेश पारित करने में घोर अवैधता कारित की है।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में, विधि और नियमावली के अधीन उपबंधित विधि और विधिक नियमों के अनुसरण में उपयुक्त आदेश पारित करने का निदेश जारी किया गया था। यदि क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ने शासनादेश दिनांक 20.5.2012 का परिशीलन किया होता, तो वे आक्षेपित आदेश पारित नहीं करते और मामले को जिला विद्यालय निरीक्षक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को निर्दिष्ट कर दिया गया होता, जिन्हें अनुमोदन का उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए सक्षम माना गया है।

18. **अनुराग कुमार सिंह (उपर्युक्त)** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट निर्णय की दृष्टि से, माननीय उच्च न्यायालय किसी प्राधिकारी को अनुमोदन का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए, यह आदेश पूर्णतः क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है।

19. तदनुसार, विरोधी पक्षकार सं. 3 (संयुक्त शिक्षा निदेशक, देवी पाटन मंडल, शिक्षा भवन, फैजाबाद) द्वारा पारित आक्षेपित आदेश 31.10.2012, जैसा रिट याचिका के संलग्नक-1 में अंतर्विष्ट है, अपास्त किया जाता है।

20. परिणामस्वरूप, दोनों रिट याचिकाएं सफल होती हैं और **अनुज्ञात** की जाती हैं। तथापि, प्रत्युत्तरदाता-जिला विद्यालय निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि वह शासनादेश दिनांक 20.5.2012 के अधीन उपबंधित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार अनुमोदन प्रदान करने हेतु, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उपयुक्त तर्कसंगत और सकारण आदेश पारित करे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति इरशाद अली)

मार्च 25, 2026

जीके सिन्हा

Translated Version. Not for Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”